

2887/020



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 521586

पट्टा विलेख

अवधि 20 वर्ष 11 माह

स्टाम्प 3,000/- रु०

हम कि मौहम्मद अय्यूब व मौहम्मद कय्यूम पुत्रगण श्री मौहम्मद
यूसुफ-निवासीगण मुगलपुरा, लाकड़ी वालान, शहर व जिला मुरादाबाद जिन्हें
आगे पट्टाकर्ता कहा गया है और जो इस विलेख के प्रथम पक्षकार हैं।

तथा

श्रीमती नाजिया परवीन पत्नी हाजी फरहान निवासी भूडा चौक, ईदगाह
रोड, मुरादाबाद जिसे आगे चलकर पट्टेदार कहा गया है और जो इस
विलेख का द्वितीय पक्षकार है, विलेख पंजीकरण हेतु अधिकृत हैं:-
के बीच किया गया है।

M. Ayub

M. K. Khan



नितीश श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava

15-11-21

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं नियुक्त न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मैसूर रीजनल कार्यालय
Mysur Regional Office



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 521588



14 FEB 2020

(3)

अब यह विलेख साक्ष्य है कि पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार से 12,000/- रु० वार्षिक धनराशि को किराये के रूप में जिसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति पट्टाकर्ता एतद्वारा करता है, तथा आरक्षित भाटक के प्रतिफलस्वरूप पट्टाकर्ता पट्टेदार के पक्ष में उक्त सम्पत्ति तथा उस पर होने वाले निर्माण से सम्बन्धित सभी लाभ, अधिकार तथा सुखाचार का, जिसका इस विलेख में आगे चलकर और विशेष रूप से वर्णन किया गया है, अन्तरण करता है जिससे कि पट्टेदार एतद्वारा अन्तरित सम्पत्ति को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनः अनुमोदित और स्वीकार कर लिया था, दिनांक 17-12-2018 से 16-11-2039 तक के लिये धारण करेगा :-

M. Agul

M. Agul



15-11-21

Nazir

नितिन शिवराज
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं निमित्त मालिक
Chief Regional Manager & Duty Constable
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

(4)

1. यह कि पट्टेदार पट्टाकर्ता को पट्टे के अन्तराल बीस वर्ष ग्यारह माह में केवल 12,000/- रुपये वार्षिक किराया वार्षिक भाटक के रूप में बीस वर्ष ग्यारह माह तक नियमित अदायगी करेगा।
2. यह कि पट्टेदार के उक्त सम्पत्ति पर नियमानुसार स्वीकृत मानचित्रानुसार भवन बनाने, टीन शेड आदि का अधिकार पेट्रोल पम्प एवं अन्य कार्य प्रयोजनार्थ होगा, इस प्रयोजनार्थ पट्टेदार को प्रस्तावित भवन निर्माण या किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन करने में पट्टाकर्ता कोई एतराज नहीं है और न भविष्य में होगा।
3. यह कि अगर कम्पनी को सब-लीज की जरूरत पेश आती है तो इसी अवधि के अन्दर पट्टातादा द्वारा सब-लीज की जा सकेगी।
4. यह कि अन्तरित सम्पत्ति अथवा उस पर बनी वर्तमान स्थिति को बदलने, गिरवाने अथवा अपनी इच्छानुसार उपयोग तथा निर्माण आदि करने का अधिकार पट्टेदार को होगा। उक्त भूमि से संबन्धित समस्त खर्चे, ~~(जैसे कि भूयुक्त)~~ विद्युत शुल्क, जल शुल्क, निर्माण खर्च वगैराह पट्टेदार के होंगे। भाटक से इनका कोई वास्ता व सरोकार न होगा।
5. इस पट्टे में प्रयुक्त पद पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार में जब तक प्रसंग में अन्य व्याख्या न हो, पट्टाकर्ता की दशा में उसके उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिनी भी सम्मिलित होंगे और पट्टेदार की दशा में उसके उत्तराधिकारी, दायद, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा समनुदेशिनी भी सम्मिलित होंगे।

M. Agul.

M. Agul.

M. Agul.

नितिन श्रीवास्तवा
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं निमित्त
Chief Regional Manager & Duty Officer
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
नियंत्रण एवं निरीक्षण विभाग
Regulation and Inspection Division

(5)

- 6 यह कि उक्त सम्पत्ति दिनांक 17-12-2018 को जरिए पट्टा विलेख दि० 18-12-2018 व रजि० शुदा बही सं० एक जिल्द नं० 14865 पृष्ठ 65/78 बनम्बर 22025 के द्वारा द्वितीय पक्ष को पट्टे पर दी गयी थी। किन्तु उक्त विलेख सं० 22025/2018 में टाइप की सहवन गलती से क्षेत्रफल 488.11 वर्ग मीटर की जगह 450.32 वर्ग मीटर टाइप हो गया जबकि वास्तव में सही क्षेत्रफल 488.11 वर्ग मीटर है जो कि पट्टे पर दिया गया था। अतः इस विलेख में सही क्षेत्रफल 488.11 वर्ग मीटर लिखा गया है तथा किरायेदारी दिनांक 17-12-2018 से ही निरन्तर चल रही है जो कि 16-11-2039 तक जारी रहेगी।

अन्तरित संपत्ति का विवरण:-

भूमि पर पट्टाकर्ता बहैसियत भूमिगधर मालिक काबिज व दखील चला आता है। कुल भूमि का क्षेत्रफल 488.11 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल मय चहार दीवारी मुताल्लिका गाटा सं० 112मि०, 113मि०, 114/1मि० स्थित ग्राम मुस्तफाबाद मु०, तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर प्रथम पक्ष बहैसियत भूमिगधर मालिक है जो पट्टा विलेख द्वारा अन्तरित किया गया है। दिशायेँ सीधी पूरब-पश्चिम नहीं है कुछ घूमी हुई हैं। जिसका नक्शा संलग्न है।

पूरब — सम्पत्ति दीगर शख्स।
पश्चिम— आराजी प्रथम पक्ष।
उत्तर — आराजी मौहम्मद रिजवान कुरैशी आदि।
दक्षिण — सड़क मुरादाबाद-रामपुर रोड।

लिहाजा यह पट्टा विलेख बहालत सेहत नफस व सबाते अकल बदुरुस्ती होश व हवास अपने-अपने तहरीर कर ताकि ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे।

M. Ayub

M. Ayub

M. Ayub

Na 818
15-11-21
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी एवं विलेख अधिकारी न्यायाधी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
एन.टी.एस. प्रोपर्टी कं. लि. प्रा. लि.
Nitin Shrivastava Corporation Limited
400, New Delhi, India
Meerut Retail Regional Office

नोट- पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार के फोटो साक्षीगण की पहचान पर मौहम्मद इस्लाम उर्फ बाबू एडवोकेट ने सत्यापित किये हैं। ~~मेरी पक्ष में सबकिए जा कर हंग~~
~~इसका मुमकिन पट्टेदार प्रमाणों के नोट पत्र न पकड़ाना 12 व~~
 ह0 M. Pyu. M. Pyu. ह0 रूम 18 छुट मबीच कट है

श्री. आ. आ.
आ. आ.
०००

A black and white portrait of a man with dark hair and a mustache, wearing a white button-down shirt. He is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is dark and textured.

Mohammad Islam Urf Babu
(Advocate)
Ch. 4 Kachan S.B.I. Road, MBD.
M. 9897236662

निगिन श्रिवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं नियुक्त न्यायाधीश
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office